बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०
Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001
दूरभाष / **Phone :** - +91-612-2222622 फैक्स नं० / **Fax No:** - 0612-2506218
CIN: U63040BR1980SGC001486, **Web:** www.bstdc.gov.in **E-mail:** contactbstdc@gmail.com

BSTDC

सं0सं0–02/42/वि0/स्था0/14–15/ पार्ट–1/687/18 दिनांक 24/05/2018

विज्ञप्ति

निदेशक मंडल के द्वारा कार्यावल मद संख्या 102/17/2015 में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के अधीन निम्न पदो पर राज्य सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत पदाधिकारियों को संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन।

क्र०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	धारित योग्यता
1	उप महाप्रबंधक (वित एंव लेखा)	01	बिहार वित्त सेवा से सेवानिवृत पदाधिकारी। धारित पद **Assistant Commissioner** से अन्यून न हो।
2	प्रबधंक लेखा	01	बिहार वित्त सेवा से सेवानिवृत पदाधिकारी।

1. संविदा पर चयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–

I. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 63 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा संविदा पर रहने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी, जो आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।

II. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मँहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो प्राप्त राशि होगी वही होगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

III. उप महाप्रबंधक वित एवं लेखा के लिए विगत तीन वर्ष का प्रशासनिक कार्यों तथा वित एवं लेखा के कार्यों का कार्यानुभव।

IV. सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

V. नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के सम्बन्ध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

VI. नियोजित कर्मियों के कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा नियोजन रद्द् की जा सकेगी।

VII. नियोजन में निकट के वर्षो में सेवानिवृत कर्मियों को प्राथमिकता सूची में उपर रखा जायेगा।

VIII. निम्नांकित कर्मियों की सेवाएं नहीं ली जायेगी :–

(क) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा है।
(ख) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है।
(ग) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
(घ) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(**नोट** :– क्रमांक ''**क**'' से ''**घ**'' तक के संबंध में शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा)

2. सेवानिवृत इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में दिनांक–**18.06.2018** के अपराह्न **4.00** बजे तक निगम के कार्यालय में अपना आवेदन निबंधित/हाथों–हाथ समर्पित कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. आवेदन के साथ पी0पी0ओ0 (यदि निर्गत हो) अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र एवं सेवापुस्त की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।

4. नियमानुसार आरक्षण नियमावली का पालन किया जायेगा।

5. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

ह0/–
प्रबंध निदेशक

1 आवेदक का नाम ....

2 पद का नाम ....

3 विभाग/कार्यालय का नाम (जहाँ से सेवानिवृत हुए हैं) ....

4 जन्म तिथि ....

5 सेवानिवृति की तिथि ....

6 अंतिम वेतन ....

1. वेतनमान ....
2. मूल वेतन ....
3. ग्रेड पे ....

7 सेवानिवृति को धारित पद ....

8 पेंशन स्वीकृति की स्थिति ....

1. स्वीकृत ....
2. स्वीकृत नहीं ....
3. औपंबधिक स्वीकृत (सही का निशान लागवे तथा आदेश की प्रति संलग्न करें) ....

9 पेंशन की स्वीकृत राशि ....

पेंशन+मंहगाई सहत आदि (कुल जोड़कर) ....

10 सेवानिवृति की तिथि या पूर्व में आरोप/विभागीय कार्यवाही की स्थिति ....

11 आरक्षण कोटि
(1) अनुसचित जाति (2) अनुसचित जनजाति (3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (4) पिछड़ा वर्ग

(5) पिछड़ा वर्ग (महिला) (6) सामान्य (सही का निशान लागवे तथा जाति अंकित करे ....)

12 आरोप के निष्पादन की स्थिति /अधिरोपित दण्ड का विवरण ....

13 वर्तमान पता (मोबाइल नं0 के साथ) ....

14 स्थायी पता ....

15 घोषण पत्र
एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदिवारी संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर